



भारत का राजपत्र The Gazette of India

CE
29/7/86

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 308]
No. 308]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 23, 1986/आषाढ़ 2, 1908
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 23, 1986/ASADHA 2, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Page is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(वित्तिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 23 जून, 1986

अधिसूचना

सा.का.नि. 895(अ).—लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 (1968 का 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार लोक भविष्य निधि योजना, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इस योजना को लोक भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1986 कहा जायेगा।

(2) यह योजना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. लोक भविष्य निधि योजना, 1968 (जिसका उल्लेख इसके पश्चात् उक्त योजना के रूप में किया जाएगा), के पैरा 3 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे:—

(क) उप-पैरा (1) में अक्षरों और अंकों में "40,000 रुपए" के स्थान पर अक्षरों और अंकों में "60,000 रुपए" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ख) उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(2) उप-पैरा (1) में वर्णित किसी बात के बावजूद, कोई व्यक्ति निम्नलिखित का जोर से निधि में अधिदान कर सकता है:—

(क) अधिमाजित हिन्दू परिवार, अथवा

(ख) याचक अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80 ग की उप-धारा (2) के खण्ड (छ) में यथा उल्लिखित व्यक्तियों की कोई एसोसिएशन अथवा अलग-अलग व्यक्तियों की कोई संस्था, अधिमाजित हिन्दू परिवार अथवा व्यक्तियों की एसोसिएशन अथवा अलग-अलग व्यक्तियों की संस्था की आय में से, जैसी भी स्थिति हो, कम से कम 100 रुपए और अधिक से अधिक 60,000 रुपए प्रतिवर्ष अधिदान कर सकती है।"

3. उक्त योजना के पैराग्राफ 4 के उप-पैराग्राफ (1) में "अथवा अधिभाजित हिन्दू परिवार की ओर से जिसका कि बह सच है" शब्दों के पश्चात् "अथवा व्यक्तियों की किसी एसोसिएशन अथवा अलग-अलग व्यक्तियों की किसी संस्था की ओर से" जैसा कि प्राय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 303 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) में उल्लेख किया गया है, मध्य, कोटक अक्षर तथा मूल जोड़ दिए जाएंगे।

4. उक्त योजना के पैराग्राफ 9 के उप-पैराग्राफ (1) में; (क) "निकासी वर्ष" शब्दों के बाद "अथवा पूर्ववर्ती वर्ष के अन्त में, इनमें से जो भी छोटा हो" शब्द जोड़ दिए जाएंगे।

(ख) परन्तुओं के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुओं को प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु यह कि किसी एक वर्ष के दौरान एक से अधिक बार निकासी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

5. उक्त योजना के पैराग्राफ 12 के उप-पैराग्राफ (6)(ii) में निम्नलिखित परन्तुओं को जोड़ दिया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु यह कि, विधि मान्य उत्तराधिकारियों की (i) अतिपुति पत्र, (ii) मरणपत्र, (iii) मरणपत्र पर दावा न करने वाले एक पत्र, (iv) फार्म "छ" के अनुबन्ध में दिए गए प्राकृतिक के अनुसार स्टाम्प पेपर पर घोषणा की मृत्यु का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर, नामक रूप तक की सेवा राशि अदा की जा सकती है।"

6. उक्त योजना के साथ संलग्न फार्म "क" में:—(क) प्रविष्टि (ii) के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(ii) मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं किसी नाबालिक अथवा हिन्दू अधिभाजित परिवार अथवा व्यक्तियों की एसोसिएशन की ओर से नहीं हूँ, जो कि कोई भी अन्य लोक प्रविष्टि निधि खाता नहीं रख रहा हूँ।"

(ख) "अतिरिक्त समूह" प्रविष्टि के नीचे टिप्पणी 1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पणी को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"टिप्पणी 1—यदि किसी हिन्दू अधिभाजित परिवार अथवा व्यक्तियों की एसोसिएशन की ओर से कोई दावा खोला गया हो, तो अतिरिक्त के नाम के नीचे "हि. अ. प." अथवा "एसोसिएशन" अक्षरों को जोड़ दिया जाएगा।"

7. उक्त योजना के साथ संलग्न फार्म "छ" में:—

(क) मद (iv) के बाद निम्नलिखित को जोड़ दिया जाएगा; अर्थात्:—

"(v) अतिपुति पत्र।

"(vi) मरणपत्र।

"(vii) मरण पत्र में दावा न करने वाले का पत्र।

(ख) अन्त में निम्नलिखित पाठ टिप्पणी को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"यदि नामांकन नहीं किया गया हो, तो एक लाख रुपए के दावे तक, विधिमान्य उत्तराधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।"

8. उक्त योजना के साथ संलग्न फार्म छ के बाद निम्नलिखित अनुबन्धों को जोड़ दिया जाएगा, अर्थात्:—

फार्म छ का अनुबन्ध 1

(अतिपुति पत्र)

सेवा में,

प्रबन्धक/पोस्ट मास्टर,

.....

..... (बैंक/प्रधान हाजिर का नाम)

आपके बैंक में लोक प्रविष्टि निधि खाता संख्या में अधिव्यक्ति रुपए की राशि जो कि के नाम में रखी हुई है, उसको मैं व्यक्ति (जमाकर्ता का नाम) की सम्पत्ति के संबंध में जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्रों अथवा उसमें संबंधित उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए बिना अथवा सम्पदा शुल्क नियंत्रक से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए बिना कि सम्पदा शुल्क की अदायगी कर दी गई है अथवा ऐसी अदायगी कर दी जाएगी अथवा सम्पदा शुल्क की कोई राशि देय नहीं है, मुझको/हमें (कानूनी उत्तराधिकारियों के नाम) आपके द्वारा अदा कर दिए जाने अथवा अदा किए जाने के संबंध में सहमति प्रकट किए जाने के आधार पर, मैं/हम

और हम

(आमिनों के नाम) एतद्वारा अपने लिए और अपने उत्तराधिकारियों के लिए, कानूनी प्रतिनिधियों, सिम्पावकों और प्रशासकों के लिए संयुक्त रूप से तथा अलग-अलग वचन देते हैं और इस बात से सहमति प्रकट करते हैं कि आपको और आपके उत्तराधिकारियों तथा समनुदेशितियों को उन समस्त दावों, भागों, कार्य-बाईयों, हानियों, अनियमों, प्रसारों तथा व्ययों के लिए अतिपुति अदा की जाएगी, जोकि आपको द्वारा मुझको/हमें उक्त राशि को उपयुक्त रीति में अदा किए जाने के संबंध में सहमति दिए जाने/अदा किए जाने के आधार पर अथवा उसमें परिणामस्वरूप आपके द्वारा उठाए जाए अथवा किए जाए।

इसके साथ ही हमने निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में पर वर्ष के दिवस को हस्ताक्षर किए हैं।

मृत व्यक्त के उपर्युक्त उत्तराधिकार/उत्तराधिकारियों द्वारा

हस्ताक्षरित और सुपुर्ब किया गया

उपर्युक्त जासियों द्वारा हस्ताक्षरित और सुपुर्ब

1.

2.

साक्षियों के नाम और पते

1.

2.

स्थानित
नोटरी पब्लिक

पार्स 3 का अनुबन्ध II

(सप्तम पत्र)

सेवा में

प्रबन्धक/पोस्ट मास्टर,

.....

.....

..... (बैंक/प्रधान डाकघर का नाम)

मैं/हम

स्वर्गीय

आम

वर्ष

..... वर्ष, का पति/पत्नी तथा उपर्युक्त स्वर्गीय श्री के पुत्र/पुत्रियाँ, जो कि के निवासी हैं, एतद्वारा इस प्रकार घोषणा करते हैं तथा निष्ठापूर्वक सत्यापित करते हैं कि :—

(1) मैं/हम मृत के, जिनकी मृत्यु को पर हुई, मात्र आरित हैं/हैं। मैं/हम प्रकट ही मृत श्री/स्त्री का प्रतिनिधित्व करता हूँ/करते हैं। (2) मृत ने कोई वसियत नहीं की है और इसलिए मैं/हम उपर्युक्त मृत व्यक्ति को सम्पदा के माझ उत्तराधिकारी हूँ/हैं।

1.

2.

3.

4.

(अभिप्रायी)

सत्यापन: मैं/हम उक्त अभिप्रायी निष्ठापूर्वक (स्थान का नाम) एतद्वारा सत्यापित करता हूँ/करते हैं कि हम अपवचन में की गई बातें हमारी आवश्यकता के अनुसार सत्य हैं और किसी सारवान तथ्य को छिपाया नहीं गया है।

दिनांक:

1.

2.

3.

4.

अभिप्रायी

फार्म स का अनुसूच III

(अपने के आधार पर अ-दावा पत्र)

सेवा में,

प्रबन्धक/पोस्ट मास्टर,

.....

.....

..... (बैंक/प्रधान डाकघर का नाम)

मैं/हम

का (i)

पति/पत्नी जोकि

के निवासी हैं तथा (ii)

का पुत्र/पुत्री तथा

(iii)

का पुत्र/पुत्री एतद् द्वारा निम्नोक्त हस्त प्रकर सत्यापित एवं घोषित करते हैं:

(i) कि श्री/श्रीमती की मृत्यु तारीख को बिना बहिमत किए हुई और वे हमें अपने एक मात्र वारिसों के रूप में छोड़ गए हैं।

(ii) कि हम अपने स्वर्गीय पिता/अपनी स्वर्गीय माता के वारिस अपने लिए और अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रतिनिधियों तथा समनुदेवितियों को ओर से एतद् द्वारा रूप की रकम के प्रति अपने दावे का अधिस्थान करते हैं, जिस रकम को आपकी खाता में हमारी माता/पिता द्वारा वारिस खाने उपर्युक्त मृत पिता/माता की सम्पदा के नाम में के नाम जारी ड्राफ्ट (बैंक का नाम) संख्या जिसे द्वारा जारी किया गया है, की रकम की बन्नी होने के पश्चात् जमा कर दिया जाए और हमें इस बात पर भी आपत्ति नहीं है कि उपर्युक्त खाता स में जमा राशि को उस पर समुत्पन्न व्याज सहित, यदि ऐसा कोई व्याज उत्पन्न हुआ हो, बैंक के द्वारा हमारे उपर्युक्त माता/पिता श्रीमती/श्रीमान को धरा कर दिया जाए।

1.

2.

3.

अभिज्ञाती

सत्यापन: हम उपर्युक्त अभिज्ञाती एतद् द्वारा निम्नोक्त सत्यापित करते हैं कि इस अथ पत्र में निम्नी बातें हमारी जानकारी के अनुसार सत्य हैं।

दिनांक

मैं अभिज्ञाती की जिनाक करता हूँ जिसे मैं व्यक्तिगत रूप में जानता हूँ और जिसने मेरी उपस्थिति में इस पर हस्ताक्षर किए हैं।

दिनांक

सत्यापित

अपने-आपके

[एफ.स. 3(6) फॉ.स. 3(6)]

बी. बालसुब्रह्मण्यम, अपर वजेट अधिकारी

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 23rd June, 1986.

NOTIFICATION

G.S.R. 895 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 3 of the Public Provident Fund Act, 1968 (23 of 1968), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Public Provident Fund Scheme, 1968, namely:—

1. (1) This Scheme may be called the Public Provident Fund (Amendment) Scheme, 1986.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In paragraph 3 of the Public Provident Fund Scheme, 1968 (hereinafter referred to as the said Scheme),—
 - (a) In sub-paragraph (1), for the letters and figures "Rs. 40,000/-", the letters and figures "Rs. 60,000/-" shall be substituted;

(b) for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely :—

“(2) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (1), an individual may also subscribe to the Fund on behalf of;—

(a) a Hindu Undivided Family, or

(b) an association of persons or a body of individuals as referred to in clause (g) of sub-section (2) of section 80C of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), out of the income of the Hindu Undivided Family or association of persons or body of individuals, as the case may be, any amount not less than Rs. 100 and no more than Rs. 60,000 in a year”.

3. In sub-paragraph (1) of paragraph 4 of the said Scheme, after the words “or on behalf of a Hindu Undivided Family of which he is a member”, the words, brackets, letters and figures “or on behalf of an association of persons or a body of individuals as referred to in clause (g) of sub-section (2) of section 80C of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)” shall be inserted.

4. In sub-paragraph (1) of paragraph 9 of the said Scheme,—

(a) after the words “year of withdrawal”, the words “or at the end of the preceding year, whichever is lower” shall be inserted;

(b) For the provisos, the following proviso shall be substituted, namely :—

“Provided that not more than one withdrawal shall be permissible during any one year”.

5. In sub-paragraph (6) (ii) of paragraph 12 of the said Scheme, the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided that the balance upto Rs. 1 lakh may be paid to the legal heirs on production of (i) a letter of indemnity, (ii) an affidavit, (iii) a letter of disclaimer on affidavit, and (iv) a certificate of death of subscriber, on stamped papers, in the forms as in Annexure to Form G.”

6. In Form A appended to the said Scheme,—

(a) for entry (ii), the following entry shall be substituted, namely :—

“(ii) I hereby declare that I am not maintaining any other Public Provident Fund Account, except an account on behalf of a minor or a Hindu Undivided Family or a association of persons.”;

(b) for Note 1 below the entry “Additional Specimen”, the following Note shall be substituted, namely :—

“Note 1—Where an account is opened on behalf of a Hindu Undivided Family or an association of persons, the letters “HUF” or “Association”, as the case may be, shall be added after the name of the subscriber.”

7. In Form G appended to the said Scheme,—

(a) after item (iv), the following shall be inserted, namely :—

“@ (v) Letter of indemnity.

@ (vi) Affidavit.

@ (vii) Letter of disclaimer on a

(b) the following footnote shall be inserted at 1

“@ To be produced by legal heirs, in the absence of nominations, for claims upto Rs. 1 lakh.”

8. After Form G appended to the said Scheme, the following Annexures shall be inserted, namely :—

ANNEXURE I TO FORM G

(Letter of indemnity)

To

The Manager/Post Master

_____(Name of the bank/Head Post Office).

In consideration of your paying or agreeing to pay me/us _____ (Names of Legal heirs) the sum of Rs. _____ standing in Public Provident Fund Account No. _____ with your Bank in the name of _____ without production of letters of administration or a succession certificate to the estate of the deceased _____ (Name of the subscriber) or a certificate from the Controller of Estate Duty to the effect that estate duty has been paid or will be paid or none is due, I/We _____ and we _____ (sureties) do hereby for ourselves and our heirs, legal representatives, executors and administrators jointly and severally undertake and agree to indemnify you and your successors and assigns against all claims, demands, proceedings, losses, damages, charges and expenses which may be raised against or incurred by you by reason or in consequence of your having agreed to pay/or paying me/us the sum as aforesaid.

In witness whereof we have hereunto set our hands at _____ on this _____ day of _____ in the presence of witnesses.

Signed and delivered by the above-named heir/heirs
of the deceased

Signed and delivered by the above-named sureties :

1.

2.

Names & Addresses of witnesses:

1.

2.

Attested

Notary Public

ANNEXURE II to Form G

(Affidavit)

To

The Manager/Post Master,

_____(Name of the Bank/Head Post Office)

I/We, _____ husband of/wife of late _____ aged _____
 _____ aged _____ aged sons/daughters of the said late _____ residents
 of _____ do hereby declare and solemnly affirm as under:—

(1) That I/We am/are the only heir(s) of the deceased _____ who died at _____
 on _____. I/We alone represent the estate of the deceased Sh./Smt. _____

(2) That the deceased _____ did not leave any will and therefore I/We am/are the only successor(s)
 to the estate of the said deceased.

1.

2.

3.

4.

DEPONENTS

VERIFICATION : I/We, the above-named deponents do hereby verify on solemn affirmation in _____
 (name of place) that the contents of this affidavit are true to our knowledge and nothing material has been con-
 cealed.

Dated: _____

1.

2.

3.

4.

DEPONENTS

ANNEXURE III to Form G
(Letter of disclaimer on Affidavit)

To

Manager/Post Master,

(Name of the Bank/Head Post Office):

I/We, (i) _____ husband of/wife of _____
Residents of _____ (ii) _____ son of/daughter of _____
(iii) son of/daughter of _____ do hereby solemnly affirm and declare
as follows:—

- (1) That Sh./Smt. _____ died intestate on _____
leaving behind us _____ his only heirs.
- (2) That we _____ heirs of our late father/mother for ourselves and on behalf of our heirs,
executors, representatives and assigns do hereby relinquish our claims to the balance of Rs. _____
which may be credited to the account sought by our mother/father to be opened in your Branch in the
name of the estate of the said _____ deceased father/mother after the realisation of Draft
No. _____ on _____

(name of bank)

issued by _____ and we have no objection whatsoever is the balance
in the above-referred account No. _____ together with interest, if any accrued thereon being
paid by the Bank to our said mother/father Mrs./Mr. _____

1.

2.

3.

DEPONENTS

VERIFICATION : We the above-named deponents do hereby verify on solemn affirmation that the contents of
this affidavit are true to our knowledge.

Dated _____

I identify the deponent who is personally known to me and who has signed in my presence.

Dated _____

ATTESTED

Oath Commissioner

[F.No. 3(6) PD/86]

V. BALASUBRAMANIAN, Additional Budget Officer